

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide legal assistance to the poor persons in certain cases."

The motion was adopted.

SHRI D. K. PANDA: I introduce the Bill.

15.39 hrs.

MOTHER'S LINEAGE BILL

by SHRI MADHU LIMAYE— *Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 5th April, 1974, namely:—

"That the Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother, be taken into consideration."

2 hours were allotted, and 30 minutes were taken, and there is a balance of 1 hour and 30 minutes. Shri M. C. Daga was on his legs on the last occasion, and he has taken 18 minutes already. Now he should conclude.

SHRI M. C. DAGA (Pali): I shall take at least 10 minutes. I have moved an amendment to the effect that this Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 3rd August 1974.

उपाध्यक्ष जी, जब मेरा ध्यान इस बिल की तरफ गया तो बिल के प्रोजेक्ट्स को पढ़ा तो बड़ा अन्तर मालूम पड़ा।

"The life of thousands of people and their mothers is being made miserable because of the fossilized attitudes that prevail in our society today. This Bill seeks to remove the

692 LS—11

15.40 hrs.

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA in the Chair]

सभापति महोदय, इस बिल के उद्देश्य और प्रोजेक्ट्स को मैं नहीं समझ सका। इस बिल में इसका कोई इलाज नहीं है। इस बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इल्लेजिटिमेट लड़के को वही अधिकार होंगे जो लेजिटिमेट लड़के को होंगे।

खेल का कोई पुत्र है और अपनी औरत का कोई पुत्र है तो बानों में क्या फर्क नहीं होगा? इसके बारे में इसमें कोई बात नहीं लिखी हुई है। केवल एक बात लिखी हुई है कि सरकारी रजिस्टर में जब वह नाम लिखाने के लिये जाएगा तो बाप का नाम न बताए और केवल मां का नाम बताए तो उसको लिख लिया जाना चाहिये। वह कहते हैं कि यह वाजिब होगा, मुनासिब होगा कि मां का नाम ही लिख लिया जाए। लेकिन हजारों बच्चे जो इल्लेजिटिमेट पैदा होते हैं उनको जो उत्पीड़न सहना पड़ा है, उनको जो पीड़ा होती है, जो चिन्ता होती है और जो उनकी माता को होती है उससे हम को उनको निकालना चाहिये।

मैं समझता हूँ कि इस बिल के द्वारा कुछ नहीं होगा। इल्लेजिटिमेट चाइल्ड को कोई नया अधिकार इस बिल में नहीं दिये गये हैं। हिन्दू सर्वेशन एक्ट के अन्दर जो इसके बास्ते एमेंडमेंट जरूरी हैं उनका भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है। यह नहीं कहा गया है कि जो अधिकार लेजिटिमेट चाइल्ड को होंगे वही

[श्री मूल चन्द डागा]

इलैजिटिमेट चाइल्ड को भी होंगे। यह भी नहीं कहा गया है कि प्रापर्टी के जो अधिकार लैजिटिमेट चाइल्ड को होंगे वे इलैजिटिमेट चाइल्ड को भी होंगे। इस सब के बारे में इसमें कुछ नहीं है। हिन्दू सोसाइटी में एक वैडिड वाइफ होती है, रीयल वाइफ होती है और एक कैप्ट वाइफ होती है, रखल होती है। आप एक नई बात लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रूढ़िवाद जो है वह दूर हो। लेकिन इस तरह से वह दूर नहीं होगा।

हमारे हिन्दू समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करके सात बार वे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम साथ निभायेंगे, हम साथ रहेंगे। समाज में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका संरक्षण होना चाहिए। उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। हजारों बच्चे आज आपको लावारिसों की तरह सड़कों पर घूमते हुए मिल जायेंगे। समाज कल्याण विभाग क्यों उनकी देखभाल नहीं कर सकता है। उनकी हालत खराब है। उनकी हालत को सुधारने का काम हाथ में लिया जा सकता है।

ये जो सब बातें हैं इनके बारे में इस कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक ही बात लिखी हुई है कि अगर कोई लड़का जाकर रजिस्टर में सरकारी आदमी के पास नाम लिखाना चाहता है तो मां का नाम भी लिखा सकता है। यह कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि बाप का नाम ही वह लिखाए। मां का ही बता सकता है। अब अगर उससे पूछें कि मुन्हारे बाप का क्या नाम है और वह कहे कि पता नहीं तो ऐसी हालत में अगर आप यह समझते हैं कि इस कानून को पास कर देने से ही जो इलैजिटिमेट चाइल्ड है उसकी इज्जत हो जायेगी, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

आपने अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया और डागा को कई बार एम्बेड किया। लेकिन

क्या अनटचेबिलिटी समाप्त हो गई? मैं समझता हूँ कि समाज में कोई परिवर्तन लाना हो तो वह केवल कानून बना देने से नहीं लाया जा सकता है। फिर भी जब आप कोई कानून लाएँ तो उसमें यह भी देखें कि पूरे अधिकार इलैजिटिमेट चाइल्ड को हैं उसको दिये जायें। जो लैजिटिमेट चाइल्ड को मिलते हैं वही इलैजिटिमेट को भी मिलें।

डाइवोर्स कहाँ होते हैं? ज्यादातर उन फैमिलीज में ही होते हैं जहाँ बच्चा नहीं होता है। मां बाप को इकट्ठा जब कभी डाइवोर्स की नौबत आती है तो लड़का या बच्चा ही रखता है। लेकिन क्या इलैजिटिमेट चाइल्ड को इस तरह का अधिकार प्राप्त हो सकता है, क्या वह इस तरह के मामलों में कुछ कर सकता है। एक बड़े विचारक ने जो कुछ कहा है उसको मैं कोट करना चाहता हूँ :

“...who enunciated an apparently social rule, the Principle of Legitimacy, according to which 'no child should be brought into the world without a man—and one man at that—assuming the role of sociological father.' That is, every society has a rule stating that each child ought to have a sociological father.”

अगर बच्चे का कोई पालन करने वाला न हो और समाज में.....

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पालन करने वाले और बाप में फर्क होता है।

श्री मूल चन्द डागा : मां और बाप को ज्वाइंट रखने वाला जो होता है वह बच्चा ही होता है। 75 परसेंट केसिस में डाइवोर्स वहाँ होता है जहाँ पर बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन जहाँ फैमिली में बच्चा पैदा हो जाता है वहाँ पर डाइवोर्स कम होते हैं।

आगे इस विचारक ने कहा है :

“At the same time, it is an illusion to suppose that by some combination of liberal social-welfare laws the child will somehow be given a position equal to that of the

legitimate child. Laws aimed at protecting the illegitimate simply underscore the social and legal fact that his position is different. As long as social customs dictate the terms of an appropriate marriage, the child born outside those limits will suffer some stigma and disadvantages."

कानून में परिवर्तन कर देने से कुछ खास हासिल नहीं होता है। जो परपज होता है वह कानून ही सर्व नहीं कर देता है। लिये जो ने जो स्वीच दी है वह मैंने सुनी नहीं है।

. श्री मधु लिये (बांका) : स्वीच हो ही नहीं पाई।

श्री मूल चन्द डागा : जो उद्देश्य इस कानून के हैं उनमें यह कहा गया है कि रूढ़िवाद को समाप्त करने की दिशा में यह एक प्रयत्न है, जीर्ण अवस्था में जो हमारा समाज है, उसमें से निकालने का एक यह प्रयत्न है और इलैजिटिमेट चाइल्ड को समाज में उसका उचित स्थान दिलाना वे चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के कानून लाकर समाज को सुधारा नहीं जा सकता है। हिन्दुओं में विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। उसके साथ धर्म शब्द जुड़ा हुआ है या नहीं? यह कोई सोदेबाजी नहीं है, यौवन संबंध मात्र नहीं है, यह कोई केवल प्रेम और मुहब्बत मर्द और औरत में हो, उसी तक सीमित नहीं है। पवित्र धार्मिक संस्कार उसके साथ जुड़े हुए हैं। हिन्दू इलैजिटिमेट और मुस्लिम इलैजिटिमेट चाइल्ड में फर्क है। मैं चाहता हूँ कि इलैजिटिमेट चाइल्ड का कलंक समाज से मिट जाए। पत्नी अपने पति का नाम क्यों न बताए? ऐसी नौबत हीं न आये कि वह अपने पति का नाम बताने से इन्कार कर सके। इलैजिटिमेट पुत्र या पुत्री पैदा होती है —

सभापति महोदय : इस विधेयक में विवाह के बिल्कुल कठक नहीं लिखा हुआ है।

श्री मूल चन्द डागा : एक बड़ी बात इसमें कही गई है। इसके आबजैन्ट्स में कहा गया है :

"The life of thousands of people and their mothers is being made miserable because of the fossilized attitudes that prevail in our society today. This Bill seeks to remove the stigma of 'illegitimacy' from those thousands of unfortunate people, 'illegitimate' sons and daughters of their mothers, who are being persecuted by society for no fault of theirs."

सवाल तो यह है कि इस बिल से वह स्तिग्मा कैसे दूर हो जायेगा, इस के द्वारा इल्लेजिटिमेट चाइल्ड को क्या अधिकार दिया जा रहा है, इस से समाज में उस का स्थान कैसे ऊंचा हो जायेगा। मैं ने अभी उन परमिसिव सोसायटीज का जिक्र किया है, जहाँ स्त्रियों और पुरुषों में बिना किसी बंधन के यौन सम्बन्ध होते हैं, इल्लेजिटिमेट बच्चे पैदा होते हैं और रोज डाइवोर्स होते हैं, जिस के कारण करोड़ों लोग दुखी हैं। हिन्दुस्तान में एक बड़ा प्राचीन सोशल इस्टीट्यूशन है, जिस के अन्तर्गत लोग कुछ नियमों और बंधनों के अनुसार चलते हैं। क्या माननीय सदस्य उन सब को खत्म कर के यहाँ भी एक ऐसी परमिसिव सोसायटी बनाना चाहते हैं, जिस में इल्लेजिटिमेट चिल्डरन की संख्या में वृद्धि हो जाये? मैं समझता हूँ कि इस को डिसकरेज करना चाहिए। (व्यवधान) क्या लीगली बेडिड वाइफ के बच्चे और रखेल के बच्चे में कोई फर्क होगा या नहीं? ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, जिस से समाज के नियमों के विरुद्ध आचरण करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले और इल्लेजिटिमेट चिल्डरन ज्यादा होने लगे। इसी लिए मैं इस कानून को पसन्द नहीं करता हूँ। यह काम समाज सुधार से हो सकता है। यहाँ पर ऐसी सोसायटी न बनाई जाये, जिस में इल्लेजिटिमेट

[श्री मूल खंड डागा]

चिल्डरेन की संख्या बढ़े और हर रोज डार्डवोवस हों। आज न हिन्दू ला न मुस्लिम ला इस की इजाजत देता है।

मैं समझता हूँ कि यह बिल कोई परपज सब नहीं करता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट यह कह दे कि हम इस बिल पर विचार करेंगे और यह बड़ा क्रान्तिकारी बिल है, आदि। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस कानून के बारे में हिन्दुस्तान की 56 करोड़ जनता की राय जानने के लिये इसको प्रचारित किया जाये, ताकि यह पता चल सके कि श्री बर्जी के फालोवर्स कितने हैं, जो चाहते हैं कि इल्लेजिमेंट बच्चे होने चाहिये। मैंने अपनी एमेंडमेंट में कहा है कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये 3 अगस्त, 1974 तक प्रचारित किया जाये। इस अवधि को और दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

मैं समझता हूँ कि हमारा देश इस तरह के बिलों को करेज करेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह प्रगतिवादी बिल है और यह रूढ़िवाद के विरुद्ध एक कदम है लेकिन वे रूढ़िवाद किसको कहते हैं? पहले हिन्दु ला में— हिन्दू सक्सेशन एक्ट और एडाप्शन ला में— एमेंडमेंट की जाये।

इस बिल में कहा गया है कि बच्चे के वाप का नाम न लिखाया जाये, बल्कि उसकी मां का नाम लिखाया जाये।

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य को इस में क्या आवेकेशन है ?

श्री मूल खंड डागा : इसका मतलब यह है कि इल्लेजिमेंट बच्चों के पैदा होने को एनकरेजमेंट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इसको डिसकरेज करना चाहिये। हमें ऐसा कानून बना कर अपनी सोसाइटी में दुख को नहीं बढ़ाना चाहिये।

मैं सरकार और श्री मधु लिमये से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी एमेंडमेंट को मान लें और इस बिल को जनता की राय जानने के लिये प्रचारित किया जाये। श्री बनर्जी बड़े प्रगतिशील हैं। मैं समझता हूँ कि वह भी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि इस बिल के बारे में जनता से पूछना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : सभापति महोदय, मैंने श्री डागा के भाषण को सुना है। उन्होंने इस बिल के स्टेटमट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ़ा जरूर है, लेकिन वह अभी तक सरकारों के जाल में इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि वह सच्चाई से आंख बन्द कर रहे हैं।

जहां तक उन बच्चों का ताल्लूक है जो लोगों के मनोरंजन के फलस्वरूप पदा होते हैं, यह सवाल दूसरे देशों में भी सामने आता रहा है। जब गोरे अमी में भर्ती होते थे और उन से 'नेम आफ पुअर फादर' पूछा जाता था, वे जबबा देते थे कि "दि कग इज माई फादर" क्योंकि वे अपने पिता का नाम नहीं जानते थे और न कोई उनको बताता था कि कौन उनका पिता है।

कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिये हमारी मासूम बहनों बेटियों के पास जाते हैं और व गर्भवती हो जाती है। उस स्थिति में समाज में उनका क्या स्थान होता है? यह एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है। गर्भवती होने के बाद अपने घर में उनके लिये कोई स्थान नहीं रहता है? उनको कलंकिनी और कुलटा के नाम से पुकारा जाता है। तब उनके समाने इसके सिवाय गौर कोई चारा नहीं होता है कि वे किसी डाक्टर के पास जायें, हजारों रुपये खर्च करें और रात के अंधेरे में उस बच्चे को खत्म किया जाये, जो आगे चल कर हिन्दुस्तान का एक अच्छा नागरिक बन सकता था। एवांशन या गर्भपात के लिये जो क्लिनिक खुले हुए

हैं, उनमें लड़कियों को किस तरह मारा जाता है, इसके बहुत उदाहरण हैं। बंगाल का सुजाता कांड हमारे सामने है, जिसमें एक शरीफ घराने की लड़की को ऐसी परिस्थितियों में मार दिया गया।

लोग समाज में पति-पत्नी बन कर रहें और बच्चे पैदा हों, यह ठीक है। लेकिन जो आदमी अपने मनोरंजन के लिए किसी स्त्री या लड़की के पास जाता है और वह गर्भवती हो जाती है, तो उस आदमी को कोई नहीं पकड़ सकेगा। बड़े बड़े ऐयाश अमीर आदमी न जाने कितनी लड़कियों को खराब करते हैं। आपको मालूम होगा कि पटियाला, नाभा, और रामपुर वगैरह हर एक रियासत में एक पूरा महल बना रहता था, जहां बें लड़कियां रखी जाती थीं, जिनके पास नवाब साहब या महाराजा 365 दिनों में एक दिन जाया करते थे। उन लड़कियों का क्या हाल हुआ? रियासतों में जिन लोगों को लाल भाई के नाम से पुकारा जाता है, आखिर वे कौन लोग हैं ?

इस तरह जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या हम को उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ? जो बच्चा इन हालात में पैदा होता है, वह अपनी मर्जी से नहीं आता है, वह किसी के मनोरंजन के फलस्वरूप पैदा होता है। उस बच्चे का कुसूर क्या है ? मैं समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, जिनकी नुमायन्दगी मेरे मुआजिज दोस्त, श्री डागा, कर रहे थे,

श्री मूल चन्द्र डागा : इस बारे में कोई मिसभ्रंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा है कि इस बिल के जरिए उन लोगों को कोई राहत, कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता है।

16.00 hrs.

श्री एस० एम० बनर्जी : डागा साहब जिस समाज में रहते हैं, उसमें रिलीफ को केवल मानिटरी रिलीफ की टर्म्स में मोना

जाता है—कि कहीं कोई हिस्सेदार न बन जाये। उनको रुपया न दिया जाये। हालांकि वह ला भाफ इनहेरिटेंस भी उसके पक्ष में होना चाहिये। उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि अगर उसे मालूम हो जाए कि कौन उसका पिता है जिसने उस की मां के साथ ऐसा काम किया है जिसके फलस्वरूप वह पैदा हुआ है तो वह उसकी सम्पत्ति का हकदार उसको बनना चाहिए और बनाना पड़ेगा।

मैं केवल इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि उन रियासतों में देखें जब प्रास्टीट्यूशन खत्म किया गया तो क्या हालत हुई। इस देश में मुझे मालूम है, कानपुर में एक प्रास्टीट्यूट थी जो काफी बुजुर्ग मैं समझता हूँ थी, जो उनको उचित सलाह दिया करती थी, जिन्होंने प्रास्टीट्यूशन छोड़ दिया था, मंच पर आकर जिन्होंने एलान किया था कि प्रास्टीट्यूशन खत्म किया जाय, लोग भाषण दे रहे थे प्रास्टीट्यूशन के खिलाफ कि देश में प्रास्टीट्यूशन नहीं रहना चाहिए, उनसे एक सवाल उन्होंने पूछा था जिसका जवाब किसी राजनैतिक दल के लोग नहीं दे सके थे। उन्होंने कहा कि आज हम प्रास्टीट्यूशन छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी बेटियों के साथ आप अपने बेटों की शादी करेंगे ? हर आदमी सकते की हालत में रह गया। एक ने भी जवाब नहीं दिया। यह प्रास्टीट्यूशन की पीढ़ियां चली आ रही हैं। क्या हमने कभी रोकने की कोशिश की है ? आज वह प्रास्टीट्यूशन छोड़ कर गायिका का जीवन बिता रही हैं, वह ठीक है। लेकिन एक मामूली प्रास्टीट्यूट की लड़की, वैश्या की लड़की के लिए सिवाय इसके और क्या चारा है कि प्रास्टीट्यूट बन्द होने के बाद सब की नजरों के सामने कोठे पर न बैठे, लेकिन गलियों और सड़कों में घूमती हुई प्रास्टीट्यूशन करती फिरे और आज भी वह यही करती हैं। क्या वह मारी बेटियां

[श्री एस० एम० बनर्जी]

नहीं हैं, हमारी बहनें नहीं हैं। मैं उन बहनों के बारे में, उन बेटियों के बारे में आप से कहना चाहता हूँ कि उन से जो बच्चे पैदा हुए वे तो उनके जिगर के टुकड़े हैं न, वे तो उन से पैदा हुए हैं। उनका दूध उन्होंने पिया है, उनके तन से वह पैदा हुए हैं। वे तो मां हैं न। बाप भले ही आंख बदल कर चला गया है आज लेकिन मां ने कभी बच्चे से आंख नहीं बदली है। मां का इतिहास जो है मैं जानता हूँ मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मैं दस साल का था तो मेरी मां ने एक मामूली स्कूल टीचर बन कर हम चार पांच भाइयों को पाला है। मां का क्या स्थान है मेरे जीवन में, शायद सब से बढ़ कर है। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो क्या उस मां से इसीलिए आप कहते हैं कि धना करें? वह मां अगर नाम लिखाने जाय और कहे कि मेरा बच्चा है तो उससे कहा जाय कि नहीं जब तक इसके पिता का नाम नहीं जानेंगे तब तक कोई स्थान उसको नहीं मिलेगा? क्या इसी समाज की कल्पना आप लोग कर रहे हैं? मैं यह नहीं कहता कि बच्चे ज्यादा पैदा हों, इस देश में लेजिटिमेंट या इल्लिगलिजिटिमेंट बच्चे ज्यादा पैदा हों। बच्चे पैदा हों या न हों, कम हों, ज्यादा हों यह दूसरी बात है। लेकिन अगर किसी की गन्ती से ऐसा हुआ है किसी ने जबर्दस्ती किसी के सोहाग को उखाड़ने की कोशिश की है और अगर उस मामूली बच्ची ने मां बनने का करार किया और कहा कि वह मां बन कर रहेगी

सभापति महोदय अंग्रेजी में उसके लिए फोस्टर्ड मदरहुड शल्ड है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जी हाँ, फोस्टर्ड मदरहुड जिसको कहा गया, और वह उसको गवारा करने के लिए तैयार हो जाती है, वह कहती है कि नहीं, मेरे तन में जो आया है मेरे जिगर का टुकड़ा जो है, मैं उसका लालन पालन करना चाहती हूँ, क्या कुत्तर उसने किया है? मैं आपको ऐसी स्थिति दिखा सकता हूँ कि जीवन भर जिन्होंने

कभी दूसरी शादी करने की इच्छा नहीं की। उसी बच्चे को लेकर रह गई। आज उस बच्चे की क्या हैसियत है? मां अगर नाम लिखाने जाय तो पहले नाम न लिखा जाय, स्कूल में जाय तो सब हंसें उस की तरफ देख कर कि इसका बाप नहीं है। लोग कहेंगे यह वास्टर्ड है। तो उसकी क्या हैसियत होगी?

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। इस बारे में पब्लिक ओपीनियन आप क्या लीजिएगा? कितने लोग हिन्दुस्तान में ऐसे हैं आज जो दिल पर हाथ रख कर यह कहेंगे कि सिवाय अपनी धर्म-पत्नी के और किसी से प्रेम नहीं करते? मैंने उन चेहरों को देखा है जो दिन के वक्त पत्नी के सामने ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे नल दमयन्ती घूम रही हों और रात के अंधेरे में उन्हीं सज्जनों को लिबास बदल कर कोठों पर चढ़ते हुए देखा है। यह हिन्दुस्तान का नकशा है। मैं तो मामूली खानदान में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज इस को देखें और हिपोक्रिसी को छोड़ कर, जितने भी हमारे कुसंस्कार हैं उन को छोड़ कर इसके ऊपर विचार करें। साफ तरीके से इस बिल में जो अमेंडमेंट लाना चाहें वह अमेंडमेंट लाएं लेकिन फार एलिसिटिंग पब्लिक ओपीनियन यह जो अमेंडमेंट है, पब्लिक ओपीनियन इस में क्या लेंगे?

यहां पर आप जानते हैं एक बिल सेपरेशन के बारे में भां लाया गया था कि सेपरेशन के लिए दो साल की मियाद को एक साल किया जाय। मेरे मित्र मधु लिमये जी जब पहले वह बिल लाए थे तो माना नहीं था लोगों ने। कहा कि आप सेपरेशन कराना चाहते हैं। तमाम ऐक्यूजेशंस उनके खिलाफ किए गए थे और बाद में मेरे ख्याल से वह बिल पारित हुआ। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ उन बच्चियों की तरफ से, उन माताओं की तरफ से जो मां तो बन चुकी हैं, और बनना नहीं चाहती थीं,

लेकिन जबबंस्ती बनाई गई हैं और बनने के के बाद फिर उनका मातृत्व उमड़ पड़ा, मां का जज्बा उमड़ पड़ा बच्चे को देख कर अगर वह समझने लगी कि मैं मां हूँ और बच्चे की मां बन कर अगर वह बच्चे का लालन-पालन करना चाहें तो मेरे ख्याल से वह तो कसूर नहीं होना चाहिए। उन बच्चों का पालन करना हम लोगों का फर्ज होना चाहिए जब तक कि समाज बदल न जाय। आज किसी भी समाजवादी देश में कोई लड़की जो कुंवारी है अगर माने लीजिये कि उसका बच्चा हो गया तो उसको डाक्टरों के पास या नर्सों के पास भागना नहीं पड़ता इस काम के लिए कि बच्चे को कैसे नष्ट किया जाय। यह आज स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चे का लालन पालन करे।

इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ अपने मित्र मधु लिमये जी को कि उन्होंने हिम्मत की इस सड़े हुए, गले हुए समाज के खिलाफ बिल लाने की, यह कुसंस्कारों का समाज जो आज जबबंस्ती लोगों को उन कुसंस्कारों में जकड़े हुए है, उस के खिलाफ उन्होंने बड़ी हिम्मत की और इस बिल को यहां लाए। इसी तरीके से जब यहां सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहनराय जी ने आवाज लगाई थी तो राम मोहन राय को लोगों ने पागल कहा था। उन से कहा कि सती होने दो, ये औरतें बच कर क्या करेंगी, उनका पति चला गया। शराब पिला पिला कर और सिर पर लाठी मार मार कर उन औरतों को मार दिया जाता था। अगर वह सती प्रथा बन्द न होती तो इस देश का क्या होता? इसलिए इस के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए और मैं मधु लिमये जी को फिर बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए इतनी हिम्मत दिखाई। उस बच्चे को भी जीने का हक है जिसको किसी आदमी ने जबबंस्ती पैदा किया हो और बाद में अपनी

जिम्मेदारी से हट गया हो। उस मां को भी जीने का हक है जो मां बनना नहीं चाहती थी लेकिन मां बनने के बाद वह बच्चे को नष्ट नहीं करना चाहती थी उस की ममता को देख कर, उस की आंखों को देख कर, उस के कमल के फूल जैसे बदन को देख कर जो मां बनने को तैयार हो गई, उस को मां बनने का हक है और इस देश में रहने का हक है।

श्री अमर नाथ सिंघालंकार (बंडीगढ़) :

श्रीभाषि महोदय, मैं इस बिल को बहुत उप-योगी मानता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे यहां पर एक रूढ़िवाद बन गया है वह रूढ़िवाद इसलिए नहीं है कि उस की कोई बुनियाद हमारी संस्कृति में है जिस का कि मुझ से पहले एक सज्जन निकल कर रहे थे वह रूढ़िवाद एक तरह से अन्धाधुन्ध कुछ बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से है। यह बिल उस रूढ़िवाद के विरुद्ध है और इसलिये मैं इस प्रकार के बिल का स्वागत करता हूँ।

हमारे यहां पर जो पुरानी संस्कृति या पुरानी विचारधारा थी उस में कभी भी अन्धाधुन्ध किसी रूढ़िवाद का समर्थन करने की भावना नहीं थी। आप महाभारत देखें, उस में यह चर्चा है कि समाज की रचना किस प्रकार से होती रही और समाज के अन्दर मुक्तिपक्ष इंस्टीट्यूशन्स जो हैं वे कैसे कैसे बने तो एक जगह उस में विवाह प्रणाली की भी चर्चा हुई कि विवाह प्रणाली कैसे चली। उस को बतलाते हुए भीष्म पितामह ने वहां पर कहा जो महा-भारत में आता है :

पुराकिल स्त्रियः नोद्वाहितासन् वरानने
स्वेच्छाचार विहारिण्यः

तेषा व्युच्चरमाणानां कौमार्यात् सुभगे
पतीन् नाधमोहेभूत् वरारोडे स हि धर्म
पुरामेव ॥

[अमरनाथ विद्यालकार]

यह धर्म, विवाह पद्धति बदलती रहती है, समाज की आवश्यकता के अनुसार। हमारा पुराना समाज, जिसे हम भारतीय या हिन्दू संस्कृति कहते हैं, यह रूढ़िवादी समाज नहीं था, वह आवश्यकता के अनुसार बदलता था। एक जमाने में हमारे यहां विवाह प्रणाली नहीं थी, उस समय स्त्रियां स्वाधीन होती थीं, जब वे कौमार्य अवस्था से जवान होती थीं तो बिना विवाह के स्वयं पति की तलाश में जाती थीं और उस समय अगर उन का सम्बन्धी किसी से हो जाता था, या वे किसी को वर लेती थीं तो वह अंधर्म नहीं माना जाता था—उस जमाने का यही धर्म था। इस के बाद जो शास्त्रों में लिखा है वह धर्म बना, समाज ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस नियम को मान लिया वही धर्म बन गया। इसी तरह से आज के समाज में भी आज की आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने धर्म का, अपनी नीतियों का निश्चय करना है।

इस लिये मैं यह समझता हूँ कि इसबिल में जो विचारधारा रखी गई है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है—हम अपने बच्चों के महत्व को समझते हैं, हम यह ती समझते हैं कि जो पुराना समाज था, वह नस्ली समाज था, नस्ल की बिना पर बना था उन्होंने नस्ल की प्योरिटी को कायम रखना जरूरी समझा था, वे चाहते थे कि एक ही नस्ल के बच्चे जायज माने जायेंगे, लेकिन आज हम नस्लीसमाज नहीं चाहते, आज हम जाति का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण नस्ली बिना पर नहीं कर रहे हैं, तमाम जातियों के लोगों को हम मिलाना चाहते हैं, अगर खून ज्यादा मिला जुला होता है तो उस से नस्ल ज्यादा आगे बढ़ती है। आज विज्ञान यह मानता है कि नस्लों के अन्दर आपस में जितना

ज्यादा अन्तमिश्रण होगा, उतना विराइल नेशन बनेगा।

आज इस में बच्चों का क्या कसूर है—जो भी बच्चा समाज में पैदा होता है, वह समाज की धरोहर है, समाज का धर्म है कि उस की रक्षा करे। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समाज इन बच्चों के भविष्य की तरफ देख रहा है और जो समाज समूचे राष्ट्र को एक राष्ट्रिय ढंग से देखता है, वह यह नहीं सोच सकता कि समाज में उन बच्चों के साथ किसी तरह का कोई भेद-भाव रखा जाय, बच्चे जन्म से अपने तमाम अधिकार ले कर आते हैं और समाज के तमाम अधिकार उन को मिलने चाहिये।

इसलिये जो बात बिल में कही गई है मैं उस का समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे खुशी होती अगर वे थोड़ा और आगे बढ़ जाते और समाज में जितने ऐसे बच्चे हैं उन के अधिकारों को स्वीकार करते। लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि वे जितना आगे गये हैं, उसको गलत कहें, मैं उन के इस बिल का समर्थन करता हूँ।

विधि, न्याय और कल्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : सभापति जी, श्री मधु लिमये ने जो बिल इस सदन के सामने उपस्थित किया है, उस के आदर्शों, उद्देश्यों की सराहना करते हुए, कुछ कठिनाइयों की ओर उन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसबिल की धारा 2 में वंश परम्परा के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया है, धारा 3 में फार्म भरने से इंकार करने के अधिकार के बारे में कहा गया है, धारा 4 में बिल के विपरीत कोई काम करेगा तो वह दुराचार माना जायगा, धारा 5 में सजाओं के बारे में उल्लेख है।

मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय देश के अन्दर जितने कानून हैं सब के अन्तर्गत अपने पिता का नाम देना

चाहिये—ऐसी बात नहीं है। ऐसे कानूनों की लम्बी लिस्ट में न जाकर मैं एक बड़े उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे सिविल प्रोसिजर कोड है—इस में जो दावा करता है या जो प्रतिवादी है उस की पहचान के लिये वर्णन देना पड़ता है, अपना नाम, किस का सुत है—आप खुशी से चाहे ती मा का नाम लिखें या पिता का नाम लिखें। पिता का ही नाम देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन कुछ कानून ऐसे जरूर हैं जिन में पिता का नाम देना आवश्यक होता है—जैसे कम्पनी कानून, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट डिजिटिवेंसी एक्ट—इन कानूनों में प्रेस्क्राइब्ड है कि पिता का नाम देना जरूरी है। इसी तरह से इन्कम टैक्स एक्ट है, बार्डर सिक्वैरिटी फॉर्स एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, रजिस्ट्रेशन आफ बर्थस् एण्ड डैथस् एक्ट है, इन्हेरिटेन्स एक्ट, मोटर व्हीकलज एक्ट हैं—इन में भी पिता का नाम देना जरूरी है।

अब यह बिल जिस तरह से हमारे सामने आया है, उस में कठिनाई होगी जब तक कि सब कानूनों में परिवर्तन न किया जाय। कठिनाई इस लिये आयेगी कि अगर कोई अबहेलना करता है तो उस को इन कानूनों की वजह से निकल भागने की गुंजाइश रहेगी, वह कहेगा कि मोटर व्हीकलज एक्ट में ऐसा प्रावीजन था, इस लिये उस को मान कर मैंने ऐसा भरा। इसलिये यदि सही रूप में इस बिल को अमल में लाना चाहते हैं तो जिन कानूनों में पिता का नाम देना आवश्यक माना गया है, उन में

पहले परिवर्तन किया जाय, ताकि इस प्रकार की कठिनाई न रहे।

बनर्जी साहब ने इन्हेरिटेन्स का उल्लेख किया, लेकिन जब मैं इस बिल को देखता हूँ तो इस में जो भी धारायें हैं उनको उद्देश्य सीमित है कोई आदमी किसी को पिता का नाम लेने के लिये बाध्य नहीं कर सकेगा—इस लिये इन्हेरिटेन्स की इस में कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए और जैसा बनर्जी साहब ने कहा कि कोई अमेण्डमेंट नहीं आये, तो इस के दोषी तो वे भी हैं, इसी तरह से जो माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि इस में अमेण्डमेंट आने चाहिये थे, उन को अपने अमेण्डमेंट देने चाहिये थे, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, अब इस समय अमेण्डमेंट दिये नहीं जा सकते, तो मेरा सुझाव है कि डागा जी ने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जन-मानस की राय जानने के लिये भेजा जाय और इस के लिये उन्होंने 3 अगस्त का समय रखा है—मेरी दृष्टि में यह समय कम है, इस के लिये काफी समय होना चाहिये, क्योंकि यह समाज में परिवर्तन लाने की चीज है मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से जुबिनाइल स्मॉकिंग एक्ट प्रदेशों में या एन्टी डावरी एक्ट पास हुए और बन कर रह गये—ऐसा हल इस बिल का नहो और इतिहासकारों के लिये लिखने को न रह जाय कि ऐसा कानून बना था, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इस पर अमल हो, इस लिये मेरा

[श्री नीतिराज सिंह चौबरी]

सुझाव है कि यह समय 3 महीने के बजाय 6 महीने कर दिया जाय

श्री मूल चन्द्र डागा : मैंने प्रपण्ड कर दिया है—3 नवम्बर, तक समय बढ़ा दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : 3 नवम्बर को सेशन नहीं रहेगा, इस को 3 दिसम्बर कर दीजिए ।

श्री नीतिराज सिंह चौबरी : ठीक है—इस बीच में लोगों की राय मालूम हो जायगी और उस के बाद यह सदन इस पर गम्भीरता से विचार कर सकेगा । मेरा सुझाव है कि मधु लिमये जी इस बात को मान लें, इस में वाद विवाद की कोई बात नहीं है, वरना जो कठिनाई मैंने सदन के सामने रखी है उस को दृष्टि में रखते हुए मैं इस बिल को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा ।

श्री मधु लिमये (बांका) : सभापति-जी, आप जानते हैं कि जिस दिन मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था उसदिन केवल 2-4 मिनट का ही समय बचा था, मैंने अपना भाषण प्रारम्भ ही किया था कि सदन स्थगित हो गया । उस के बाद जिस शुक्रवार को यह विषय आया, उस दिन में दौरे पर था, इसलिये मैं बहुत में हिस्सा नहीं ले सका । इस लिये मेरा जो प्रारम्भिक भाषण है, वह नहीं हो पाया था ।

अब मंत्री महोदय ने जी सुझाव दिया है, उसको मैं मानने के लिये तैयार हूँ, लेकिन अपने जवाबी भाषण में इस की जो पृष्ठभूमि है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ

ताकि जब आप लोकमत जानने के लिये परिचालित करें तो जनता भी समझ सके कि किस उद्देश्य को लेकर मैंने यह विधेयक पेश किया है ।

अभी हमारे मित्र डागा साहब ने बहुत सारी घमं और अघमं की बातें कहीं हैं लेकिन जो इस देश का प्राचीन इतिहास जानता है उनको पता चलेगा कि इन मामलों में हमारी प्राचीन परम्परा क्या है । मैंने कहा है कि अगर कोई अपनी मां के नाम से अपने को सम्बोधित करना चाहे तो उसे लिखना चाहिए । यह कहने से मेरी समझ में नहीं आता अनौरस संज्ञा के लिए कैसे प्रोत्साहन मिलता है । आप के प्राचीन इतिहास में जो मनु को पुत्रोत्थो इला, जो एक विद्वान्नी श्रौत थे, उसके लड़के का नाम क्या था ? वह ऐल कहता था अपने को । भीष्म पितामह का क्या नाम था ? वे गंगा के पुत्र थे इसलिये गांगेय कहलाते थे । पृथु के पुत्र अर्जुन थे जो पार्थ कहलाते थे । कुन्ती का पुत्र कौन्तेय कहलाता था । मेरी समझ में नहीं आता, मैं यह कोई नयी क्रांतिकारी बात यूरप से तो नहीं ला रहा हूँ, यह जरूर है कि आपके दिमाग पर यूरप और अमरीका का असर बहुत पड़ रहा है । मैं केवल प्राचीन संस्कृति और इतिहास में जो अच्छी अच्छी परम्पराएँ हैं, जिनको सड़े हुये दिमाग ने खत्म कर दिया था, उनका मैं पुनर्जीवन करना चाहता हूँ । अगर आप मेरे विधेयक की बुराई करना चाहते हैं तो यह सारे जो महान

सुपुत्र हिन्दुस्तान में, भारत में पैदा हुए गए, जिनको आप इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, उनका क्या हो जायेगा ? छान्दोग्य उपनिषद् में सत्यकाम और जबाला की कथा है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानेंगे इसलिए यह उपनिषद् इन स्टोरी ऐंड डायलाग में झाँपी है, सुविधा के लिए यह छोटी सी कथा है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

यह "सत्यकाम दि दुध सीकर" कथा है। एक दिन वह अपनी माँ से पूछता है :

"Dear mother, what is my gotra or lineage? I wish to go to a guru and offer to live with him as a brahmachari," said young Satyakama, one sweet morning to his mother.

He little knew how embarrassing that question was to her. However, she soon overcame her confusion. She knew that the claims of her child for knowledge were supreme. He was already grown up and to neglect those claims any further would be very culpable. She was well aware that the first thing that any guru would ask her child would be his gotra and parentage. "Young child" she said, "to tell you the truth, I know not your gotra. While young and wandering as a housemaid serving here and there, I begot you. How then can I know? But I am certain of one

thing and that is your name is Satyakama and mine Jabala. Therefore go forth and tell your guru that you are Satyakama Jabala."

ज्ञान सम्पादन करने के बाद वह ऋषि भी बन गया था और धर्म के जो पण्डित होते हैं, ब्राह्मण लोग, उन्होंने बेईमानी करके उसको ब्राह्मण भी ब्राह्मण दिया। इसी तरह से आप वेद व्यास जी की कहानी जानते हैं। वेद व्यास कौन थे ? पाराशर और मत्स्यगंधा से, जिसको गैर-कानूनी या अवैध सम्बन्ध आप कहते हैं उन्हीं सम्बन्धों से, वेद व्यास पैदा हो गए और आप जैसे लोग, दूसरे सभी लोग उनको पूजते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस देश की जो प्राचीन परम्परा है उसको भी आप समझ लीजिये। जिस दिन महान कवि दिनकर जी की मौत हुई उस दिन वास्तव में यहाँ मैं बोलना चाहता था।

श्री मूलचन्द्र डागा : क्या कोई एम्से-प्रांस रूल बन जाते हैं ?

श्री मधु सिन्घे : यह सहाय बड़े लोगों की कथा और कहानियाँ मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप इसमें धर्म और अधर्म की चर्चा में न जायें। जैसा कि हमारे विद्यालंकार जी ने कहा कि सभी बच्चे बच्चे होते हैं, उनमें फर्क करना ही सबसे बड़ा अधर्म है।

[श्री मधु खलमये]

मैं कवि दिनकर जी की बात करता चाहता था। उन्होंने 'रश्मि रथी' नाम की जो किताब लिखी है वह कर्ण के चरित्र के ऊपर है। कर्ण इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है कि अनौरस पुत्र की जो कल्पना है उसको लेकर बड़े लोगों को मानहानि और तकलीफ सहनी पड़ती है। कर्ण के चरित्र से पता चलता है कि जब कभी उसकी अर्जुन से भिड़न्त हो जाती थी तो क्या होता था। हमेशा उसका कुल कौन था, उसके पिता कौन थे, वह क्षत्रिय था या कुलहान था—इसकी चर्चा करके उसको दबाने और उसको अपने अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जाता था। इसलिए महान कवि दिनकर जी ने कहा है—कर्ण कहता है, कर्ण के मुँह से कविजी कह रहे हैं कि उन सभी लोगों का मैं आदर्श हूँ, उन सभी लोगों की तकलीफों का मैं प्रतीक हूँ जिनको बार-बार इस अवैध और अनौरस सन्तति के नाम पर समाज तकलीफ देता है, पीड़ा देता है—उन सभी लोगों का मैं प्रतीक हूँ। तो यह सारी कथायें अपने यहां होते हुए भी मेरी उम्र में नहीं आता, बीच में हजार डेढ़ हजार साल में समाज कैसे सड़ गया? डागा जी से मैं सहमत हूँ इस विधेयक की जो भूमिका मैंने रखी, उसमें जातक सिद्धान्तों की मैंने चर्चा की, लेकिन जो इस विधेयक के प्रत्यक्ष प्रावधान हैं वे बहुत सीमित हैं। मैं भी इसको मानता हूँ। इसमें केवल अर्जुन का नाम कोई लगाना चाहता है; तो लगाने की छूट देनी चाहिए—यहां तक यह सीमित है। लेकिन अगर डागा जी की मंशा है कि अगर गहराई में जाकर कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए तो उनकी मंशा से मैं सहमत हूँ। अगर आप मेरा उद्देश्य बाला जापन पढ़ेंगे, और बात क्या हुई वह म सदन को याद दिलाना चाहता हूँ। जब हिन्दु संरक्षण बिल के ऊपर संसद में चर्चा चल रही थी

तो ज्वाइंट पार्लमेन्टरी कमेटी ने—मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ—एक बहुत ही क्रान्तिकारी सुझाव दिया था कि जो अवैध पुत्र हो, यदि उसका पिता ज्ञात है तो पिता की सम्पत्ति में ऐसे अवैध या अनौरस पुत्रों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि ज्वाइंट पार्लमेन्टरी कमेटी का यह इतना क्रान्तिकारी सुझाव था लेकिन पता नहीं राज्य सभा में उसका इतना तीव्र विरोध किया गया कि यह जो इतनी प्रगतिशील धारा थी उसको उस बिल से बिल्कुल काट दिया गया। राज्य सभा में ज्वाइंट पार्लमेन्टरी कमेटी का जो प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था वह इस प्रकार था, इसमें रिप्लेस की रिभाषा उन्होंने की थी और यह प्रावधान जोड़ा था :

"Provided that illegitimate children shall be deemed to be related to their mother and to one another and also to their father if known and the legitimate descendants of such children shall be deemed to be related to them and to one another"

यह था लेकिन इसको काट दिया गया क्योंकि 1954 में हिन्दु कोड बिल को ही लोग बहुत क्रान्तिकारी समझते थे और फिर ज्वाइंट पार्लमेन्टरी कमेटी ने उसमें और क्रान्तिकारी प्रावधान रखना चाहा तो बड़ा हल्ला हो गया। लेकिन अब उसके बाद बीस साल बीत चुके हैं, चाहे हिन्दू एडाप्शन ऐक्ट हो, हिन्दू मरिज ऐक्ट हो, हिन्दू मरिज ऐक्ट हो, हिन्दू मरिज ऐक्ट के सिलसिले में मैंने वहां विधेयक पेश भी किया है—क्या इसके बारे में दोबारा सोचने का समय नहीं आ गया है? इसलिए आपका सुझाव और कानून मन्त्री ने जो कहा है उसको मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर चर्चा हो, इसके ऊपर बहस हो लेकिन मैं दो तीन बातें आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ। राज्य सभा में जब यह विवाद हुआ तो कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को रखा जैसे मैं ने

भाषण पढ़ा श्रीमती रक्षिणी ग्रंडेल का, उनके भाषण का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा :

"I wish there were a matriarchal system Then there would be no worry about this at all of having to prove because every child is the mother's child and that is all that matters."

हर एक बच्चा अपनी मां का बच्चा है, और किसी का मतलब नहीं है। यह उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। (व्यवधान) मेरी समझ में नहीं आता, माता की सम्पत्ति में तो उसको हिस्सा मिलेगा लेकिन क्या अकेले माता किसी पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है? तो माता की सम्पत्ति में उनको हिस्सा मिलेगा और पिता के ज्ञात होते हुए भी आप वैध या अवैध की चर्चा करते हैं, उसकी सम्पत्ति में बच्चे या बच्ची को हिस्सा नहीं मिलेगा इसमें न फर्क है न धर्म है।

श्री नौताराज सिंह चौधरी : मधु लिमये जी : ने बोलते हुए जो पढ़ा उसमें शब्द "लेजिटिमेट" और "इल्लेजिटिमेट" आये हैं, मैं समझता हूँ आज के युग में लेजिटिमेट या इल्लेजिटिमेट शब्द का प्रयोग छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजी में यदि कहें तो उसको born out of wedlock during wedlock —यह शब्दावली चिल्ड्रेन एडाप्शन बिल जो ज्वाइंट सिन्ड्रेट कमेटी में भेजा है, में अपनाई गई है। जिस शब्द से ही आदमी को घृणा होती हो वह नहीं आना चाहिए।

श्री मधु लिमये : "सहमत हूँ आप से। एक चाइनीज कोड के बारे में जानकारी मिली है, उन का आर्टिकल 15 है संविधान का अब चीन की बहुत सारी बातें आप को पसन्द नहीं होंगी, लेकिन कम से कम इस के ऊपर विचार कीजिए। उसमें कहा गया है कि :

"Children born out of wedlock shall enjoy the same rights as children born in lawful wedlock. No person shall be allowed to act or

discriminate against children born out of wedlock."

हमारा जो समानता के ऊपर आधारित संविधान है, उस की जो आत्मा है, जो भावना है, मंश है, यह उससे मिलता जुलता है, किसी न किसी रूप में इस को हमें स्वीकार करना चाहिए तो इसलिए इस के यह जो सारे पहलू हैं इसके बारे में मैं इस विधेयक के द्वारा सदन का और देश का ध्यान खींचना चाहता था।

मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में जो दो-तीन मिनट का ही हुआ, उस में कहा था कि इस वक्त विश्व में सप्त क्रान्तियां चल रही हैं और उस में नर नारी की समानता की एक क्रान्ति उनमें से एक है, और आज यह सारा सम्पत्ति का ही झगड़ा है, और कुछ नहीं। और पुरुष प्रधान और सम्पत्ति अभिमुख जो समाज है उसी ने यह सारी दीवारें, बाधाएँ उपस्थित की हैं।

सभापति महोदय, इस के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिन्दू कोड बिल के पहले आए लोग जानते हैं कि वर्णव्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्रथाएँ और कानून प्रचलित थे। और हुआ क्या कि जो तीन उच्च वर्णिय लोग है उन का इतना अनुदार कानून रहा है, हिन्दू कोड बिल के पहले, की बात में कर रहा हूँ कि जो शार्द और विवाह के बाहर संतति उत्पन्न होती है उसके लिये मैटेन्स का अधिकार तो पहले से था लेकिन संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन एदों में जो परम्परायें और प्रथायें थी उन में यह उदारता थी कि ऐसी संतति को भी सम्पत्ति में वह हिस्सेदार देते थे, लेकिन ढोंगी तीन वर्णिय लोगों ने उन की उदारता को अपनाते के बजाए उन के ऊपर अपने अनुदार विचार को थोपने की कोशिश की। क्या हिन्दू कोड बनाने की यही स्पिरिट होनी चाहिए? तो उच्च वर्णिय लोगों के लिए यह शर्म की बात है कि शूद्रों में जो उदार प्रथायें प्रचलित थीं उन्हें अपनाते के बजाए और पूरे समाज के लिए

[श्री मधु लिमये]

कानून के रूप में लाने के बजाए आप ने अनुदारता का परिचय दिया। इसलिए पूरे राज्य सभा का विवाद पढ़ने के बाद मेरे मन पर बहुत असर हुआ। और उस वक़्त हल्ला किया गया कि यह मोनो-गैमी के खिलाफ मामला जा रहा है। यह हल्ला कर के यह उदारवादी जो प्रथा है इस को खत्म कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मोनो गैमी का और उस का क्या सम्बन्ध है? बच्चा ऐनकरेज करता है क्या इल्लेजिटनेसी? बच्चा और बच्ची तो नहीं करते हैं। तो आप लोग सजा किन को दे रहे हैं? आप जिन को सजा देना चाहते हैं उनको तो दे ही नहीं रहे हैं।

इस के मामले में अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में एक असें से बच्चों के बारे में जो कानून है उन में एक असें से परिवर्तन होता जा रहा है? और "चाइल्ड ला" नाम से जो किताब मैंने पढ़ी है उस से पता चला कि इस तरह की दो संततियों में जो फ़र्क किया गया है वह इंग्लैंड के कानून में अब खत्म हो गया है। इसलिए अनौरस और औरस बच्चों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है वह अंग्रेजी कानून की निगाह में खत्म हो गया है।

इसलिए हमारी प्राचीन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए अगर इसके बारे में गहराई में जा कर सोचेंगे, और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस का सभी पहलुओं से विचार होना चाहिए, दूसरे जो कानून हैं उन के बारे में भी विचार होना चाहिए, तो मैं उन की भावना से सहमत हूँ और इसलिए इन का संशोधन मानने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मंत्री महोदय से केवल इतनी ही प्रार्थना है कि जिस उदारवादी दृष्टिकोण से इस विषयक पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसी की रोशनी में आप लोग हिन्दू सक्सेशन एक्ट, हिन्दू भ्रष्टाचरण एक्ट, हिन्दू मीरज एक्ट, या दूसरे जो भी कानून हैं उन पर भी विचार कीजिए, मैं गैर-हिन्दू लोगों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी राय है कि उन के समाज के जो सुधारक हैं उन्हें ही इस में पहल करनी चाहिए। अगर मैं

बोलूंगा तो गलतफ़हमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इस के पीछे मेरी जो मंशा है यदि उस को मदन मानने को तैयार है तो इंसानों के संशोधन को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Mr. M. C. Daga may please move his amendment to his amendment.

SHRI M. C. DAGA: Under rule 145, I beg to move the following amendment to my amendment:

for "3rd August, 1974." substitute "4th December, 1974."

MR. CHAIRMAN: The consent is given under the rule, and the amendment has been moved.

The question is:

for "3rd August, 1974." substitute

"4th December, 1974"

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 4th December, 1974."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: No other motion is necessary with regard to this Bill at the moment.

16.37 hrs.

SECOND WAGE BOARD RECOMMENDATIONS FOR SUGAR INDUSTRY BILL.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): I beg to move:

"That the Bill to provide for implementation of the recommendations of the Second Wage Board for Sugar Industry in India and to make it statutory with a view to maintain industrial peace in Sugar industry in the country, be taken into consideration."